केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़
पोस्ट-राजगढ़,कलेक्टर कार्यालय के सामने,राजगढ़
जिला-राजगढ़,म.प्र.।
पिन कोड़-465661
फोन न.-07372-255104
ई-मेल:- ppl.rajgarh@kvs.gov.in
वैबसाइट:-http://rajgarh.kvs.ac.in

KENDRIYA VIDYALAYA RAJGARH
Post:-Rajgarh.Opp-Collectorate Office,Rajgarh,
Distric:-Rajgarh MP Pin:-465661
Phone :- 07372-255104
Email :- ppl.rajgarh@kvs.gov.in
Website :- https://rajgarh.kvs.ac.in

CBSE Affilliation No.:1000042 School No.:54073 KV Code:1132 School Code.:079

फा.क्र.1132/M &R/116/के.वि.राज.2022-23/ 570 दिनांक :-17/09/2022

-:नीलामी सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़ परिसर में करीब 13 एकड़ भूमि पर जहां एवं जिस स्थिति में भी मवेशियों के लिए उपयोगी या खिलाने योग्य घास उगी हुई है उसको 10 दिवस के भीतर नीलाम किया जाना है जो कोई संस्था, पार्टी अथवा व्यक्ति इस कार्य के लिए इच्छुक हो वह दिनांक 26 सितम्बर 2022 को दोपहर 2:00 बजे विद्यालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकता हैं। विद्यालय परिसर की केवल घास काट कर ले जाने के लिए न्यूनतम बोली रुपए 25000/- विद्यालय की मेंटेनेंस रिपेयर समिति द्वारा निर्धारित की गई है। इसके बाद सबसे अधिक कीमत लगाने वाले व्यक्ति को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार निर्धारित राशि जमा करके रसीद प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित शर्तों पर घास काटने की अनुमति दी जाएगी, उसके पश्चात ही घास काटने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

1. सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को घास काटने के लिए अपने स्वयं के व्यय पर मजदूर लगाकर घास कटवानी होगी।
2. विद्यालय परिसर में उगी हुई घास को काटने के साथ-साथ विद्यालय परिसर की चार दिवारी के भीतर 13 एकड़ भूमि पर घास के साथ साथ जितनी भी अनावश्यक झाड़ियाँ, पौधे, खरपतवार आदि हैं उन्हें भी काटना एवं नष्ट करना होगा।
3. घास कटवाने का काम प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक मजदूर का परिचय पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र,आधार कार्ड आदि में से किसी एक की छाया प्रति कार्यालय को जमा करानी होगी।
4. कोई भी मजदूर आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए तथा किसी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं होना चाहिए। इस आशय का घोषणा-पत्र संबंधित व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था को देना होगा।
5. घास काटने का कार्य प्रारंभ करने के 15 दिवस के भीतर या 15 अक्टूबर 2022 के पूर्व जो भी पहले हो संपूर्ण घास कटाई का कार्य समाप्त करना होगा। इस कार्य में भी सर्वप्रथम विद्यालय भवन के चारों ओर इसके बाद स्टाफ क्वार्टर के चारों ओर, फिर विद्यालय मैदान तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण विद्यालय परिसर में उगी हुई घास को कटवाना होगा।
6. घास काटने वाले मजदूरों के सुरक्षा, देखरेख, घास, खरपतवार आदि काटने के लिए साधनों, उपकरण आदि से कोई क्षति पहुँचती हैं या किसी जहरीले जीव जंतु द्वारा काटने आदि से कोई अनहोनी होती हैं तो इसके लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित संस्था, पार्टी या व्यक्ति की ही रहेगी।
7. निर्धारित समय सीमा में घास काटने का कार्य समाप्त करने के साथ-साथ तत्काल घास को विद्यालय से ले जाने का कार्य भी समाप्त करना होगा। यदि किसी अनहोनी की वजह से या किसी भी कारण से घास चोरी हो जाती है,आग लग जाती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था की रहेगी।
8. निर्धारित समय सीमा में घास काटने का कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं समाप्त नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी तथा नीलामी निरस्त मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में विद्यालय अन्य व्यक्ति, पार्टी अथवा संस्था को बची हुई घास काटने की जिम्मेदारी दे सकता है।
9. घास काटने वाले मजदूरों द्वारा विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा यदि ऐसा हुआ तो संबंधित,व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था को उसकी भरपाई केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार करनी पड़ेगी।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पहले उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार रु. 500/ के स्टाम्प पेपर पर शासन द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त नोटरी के माध्यम से अनुबंध करना अनिवार्य होगां।

प्राचार्य
केंद्रीय विद्यालय राजगढ़

प्राचार्य / PRINCIPAL
केन्द्रीय विद्यालय
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
RAJGARH (BIAORA) M.P

Scanned with CamScanner